

**बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना -4**

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-01/खा0-10/2015-16

बिहार सरकार, उद्योग विभाग की संकल्प संख्या-4671 दिनांक-19.12.2014 द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्थाओं को खादी पुनरूद्धार योजना के तहत चरखा, करघा एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है। उक्त संकल्प के कडिका 3 तीन के अनुसार संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में दिया जायेगा, जिसपर 4% (चार प्रतिशत) के दर से संस्था/समिति द्वारा ब्याज (सूद) देय होगा।

02. बिहार सरकार, उद्योग विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक सं0-1511/पटना दिनांक-29.03.2016 के आलोक में ग्राम निर्माण मंडल, सेखोदेवरा, नवादा द्वारा बिहार स्थित जिन 35 संस्था/समितियों के बीच कुल 1000 (एक हजार) त्रिपुरारि मॉडल चरखा उपलब्ध कराया गया है, उन संस्थाओं को ही प्रथम चरण में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जायेगा।

03. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जितना चरखा खादी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है, उसी के अनुरूप कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाय। निम्न संस्था/समितियों को पूर्व में 50 (पचास) चरखा के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी गई थी। शेष चरखा की राशि पर प्रति चरखा 47,000.00 (सैंतालीस हजार) रुपये मात्र के दर से भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलब्ध कराये गये चरखा की संख्या	कार्यशील पूँजी प्रति चरखा के दर से	कार्यशील पूँजी हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि
1	ग्राम निर्माण मंडल, गया	50	47,000.00	23,50,000.00
2	हबिबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एण्ड ग्रामोद्योग संघ, पो0-सुगौना, मधुबनी	30	47,000.00	14,10,000.00
3	रेशम खादी उद्योग संघ, उर्दू बाजार रोड, रेकावगंज, भागलपुर	30	47,000.00	14,10,000.00
	कुल :-			51,70,000.00

₹0-51,70,000/- (एकावन लाख सत्तर हजार रुपये)।

04. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं संस्था/समितियों के अध्यक्ष/मंत्री के साथ एकरारनामा होने के उपरान्त ही कार्यशील पूँजी का भुगतान किया जायेगा।

05. एकरारनामा का प्रारूप (Format) इसके साथ संलग्न है एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के वेबसाईट www.kvibihar.com पर भी उपलब्ध है।

06. एकरारनामा में निहित सभी शर्तों का अनुपालन खादी संस्थाओं/समितियों को अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी

संस्थाओं के मध्य एकरारनामा पर हस्ताक्षर होने के बाद ही स्वीकृत कार्यशील पूंजी (ऋण) का भुगतान किया जायेगा।

07. संस्था/समितियों प्रत्येक तीन माह में (त्रैमासिक) में कार्यशील पूंजी की राशि उपयोग के उपरान्त एक व्यय/उपयोग प्रतिवेदन बोर्ड मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

08. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरुद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जाएगी।

09. खादी संस्था/समितियों को कार्यशील पूंजी की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के द्वारा किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २४९/१५६

पटना, दिनांक- २५/१०/१७

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २४९/१५६

पटना, दिनांक- २५/१०/१७

प्रतिलिपि :- उप मु० का० पदा०/प्र० पदा०/स०ले०पदा० (प्र०)/प्र० स० (खादी पुर्न० यो०)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २४९/१५६

पटना, दिनांक- २५/१०/१७

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २४९/१५६

पटना, दिनांक- २५/१०/१७

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी (अंकेक्षण/खादी पुर्नरुद्धार योजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २४९/१५६

पटना, दिनांक- २५/१०/१७

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी